विविध अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019(RCMS No. : 2019/00148) मैसर्स लक्ष्मी सीड्स कॉपोरेशन, 194 जवाहर मार्केट, जिला श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर लोकेश खेमका पुत्र सत्यप्रकाश खेमका, श्रीगंगानगर 2. मैसर्स विकास सेल्स कार्पोरेशन, 194 जवाहर मार्केट, जिला श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर सत्यप्रकाश खेमका पुत्र श्री बाबूराम खेमका, श्रीगंगानगर बनाम 1. सरकार जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर 2. बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) उपनिदेशक, कृषि (विस्तार), जि.प., श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2019 पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी मैसर्स लक्ष्मी सीडस एवं मैसस विकास सेल्स कॉपोरेशन के अधिवक्ता का कथन था कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2013 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्णय दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 282/2015 के रूप में दर्ज की गई। माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (अधिकृत अपील आधिकारी) के आदेश दिनांक 05.09.2018 से प्रार्थीगण को दोषमुक्त कर दिया गया और राजसात किये गये सरसों के बीज आदि की विक्रय राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध कृषि विभाग के द्वारा आगे कोई रिट/अपील आदि पेश नहीं की गई है और यह आदेश अन्तिम हो चुका है। इसलिए राजसात किये गये बीज आदि की विक्रय राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश कृषि विभाग को दिये जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि विभाग द्वारा आगे अपील न करने का निर्णय लिया जा चुका है और माननीय सैशन न्यायाधीश के निर्णय की पालना में सक्षम स्वीकृति प्राप्ति हेतु कृषि आयुक्त को भेजा जा चुका है। अनुमति प्राप्त होते ही विक्रय राशि वापिस लौटा दी जावेगी। जिसके सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार जारी है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 में राजसात किये गये 153 क्विंटल सरसों के बीज को माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत अपील संख्या 282/2015 लक्ष्मी सीडस वगै. बनाम जसवंज सिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा इस न्यायालय का राजसात करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 14.10.2015 निरस्त कर दिया है और जमाशुदा राशि वापिस लौटाने के आदेश दिये गये है। इस न्यायालय के पत्रांक 1071 दिनांक 20.0.2018 द्वारा कृषि विभाग को आदेश दिये गये थे कि उक्त निर्णय की पालना/अपील करने के सम्बन्ध में विभाग सक्षम है। अब चूंकि विभाग ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2019 से सूचित किया है कि विभाग द्वारा अपील न करने का निर्णय लिया है और विक्रय राशि लौटाने की स्वीकृति 2.00 लाख से अधिक होने के कारण आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तानुसार, जयपुर को निवेदन किया हुआ है। चूंकि माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर का उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है। इसलिए कृषि विभाग को आदेशित किया जाता है कि उक्त विक्रय राशि मय ब्याज प्रार्थी को लौटाये जावें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निदेशक कृषि (विस्तार), जि.प., श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मूल पत्रावली में निर्णय की प्रति शामिल कर पुनः जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर